संख्या:- 09/2021/106रिट/13(2)/1991/का-1-2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

विषय- तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण संबंधी आदेश के निर्गमन की तिथि से ज्येष्ठता अवधारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि सिविल अपील संख्या-10788/2016 राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम द स्टेट ऑफ यू0पी0 रूरल इंजीनियरिग डिपार्टमेन्ट में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28-07-2021 में यह संवीक्षा की गयी है कि तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिको की वरिष्ठता का अवधारण उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से नहीं किया जायेगा वरन् उनके विनियमितीकरण की तिथि से ही किया जायेगा।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

This is one additional ground to hold that their substantive appointments can be said to be only from the date of their regularisation/appointment made in the year 1989 after their names were recommended by the Selection Committee constituted under the 1979 Rules and their services were regularised as per the 1979 Rules after following the procedure as required under the 1979 Rules, i.e., in the year 1989. Therefore, their seniority is to be counted only from 14.12.1989, the date of their regularisation and the services rendered by the ad hoc appointees prior thereto, i.e., from the date of their initial appointments in the year 1985 is not to be counted for the purpose of seniority, vis-à-vis, the direct recruits appointed prior to 1989.

3- कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय/आदेश को संज्ञान में लेते हुए तदर्थ नियुक्त/विनियमित कार्मिकों की ज्येष्ठता अवधारण के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में ही कार्यवाही की जाय ।

भवदीय

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:- 09/2021/106रिट/13(2)/1991/का-1-2021

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
2. अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच ।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।